



सुरक्षित दिनांक 29.7.2026

प्रदत्त दिनांक 05.8.2026

2026:AHC:163260-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका संख्या - 913 सन् 2026

कुमार मनीष (कॉर्पस)

.....याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ तथा 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: आनंद मणि त्रिपाठी, अरुण कुमार शुक्ल

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता

: ए.एस.जी.आई., धनंजय अवस्थी, कृष्णा अग्रवाल

न्यायालय संख्या - 43

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ

माननीय न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी

(माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ द्वारा प्रदत्त)

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आनंद मणि त्रिपाठी; प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री अतुल कुमार शाही को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध अभिवचनों (पलीडिंग्स) का अवलोकन किया गया।
2. यह बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका निम्नलिखित अनुतोषों की प्रार्थना करते हुए प्रस्तुत की गई है:-

क. याचिकाकर्ता के निरोध, गिरफ्तारी तथा तत्पश्चात् की गई रिमांड एवं अभिरक्षा को अवैध एवं मनमाना घोषित करते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति की एक रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी किया जाए और तदनुसार विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा केस संख्या 2122, सन् 2025, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132(1)(a), 132(1)(f),

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



132(1)(i), 132(1)(l) के अंतर्गत तथा धारा 132(5) के अंतर्गत दण्डनीय (जिला-गाज़ियाबाद, विभाग - डी.जी.जी.आई. गाज़ियाबाद) में पारित दिनांक 17.04.2026 के आदेश को अपास्त किया जाए।

ख. प्रत्यर्थागण को याचिकाकर्ता को न्यायिक अभिरक्षा से अविलंब मुक्त किए जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

ग. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में इस माननीय न्यायालय को जो भी अन्य अथवा अतिरिक्त आदेश उचित एवं समुचित प्रतीत हों, पारित किया जाए।

3. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रत्यर्था प्राधिकारी ने दिनांक 16.04.2026 को ई-मेल के माध्यम से याचिकाकर्ता को अपने कार्यालय बुलाया। याचिकाकर्ता लगभग 02:00 अपराह्न कार्यालय पहुंचा, जहां उसे तत्काल अवैध अभिरक्षा में ले लिया गया। दिनांक 17.04.2026 की गिरफ्तारी ज्ञापन (अरेस्ट मेमो) में याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी का समय दिनांक 17.04.2026 को 01:50 पूर्वाह्न अंकित है, तथा गिरफ्तारी का स्थान डी.जी.जी.आई. गाज़ियाबाद क्षेत्रीय इकाई, सेक्टर-63, नोएडा दर्शाया गया है। यह भी निवेदन किया गया कि दिनांक 17.04.2026 के गिरफ्तारी ज्ञापन में विशेष रूप से यह अंकित है कि गिरफ्तारी के आधार, गिरफ्तारी ज्ञापन, जामा तलाशी एवं विश्वास करने के कारण, याचिकाकर्ता की पत्नी को दिनांक 17.04.2026 को 03:05 पूर्वाह्न प्रदान किए गए। यह भी निवेदन किया गया कि गिरफ्तारी ज्ञापन से स्पष्ट रूप से यह प्रकट होता है कि उक्त दस्तावेज़ कथित रूप से याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी किए जाने के पश्चात् उसकी पत्नी को तामील किए गए। दिनांक 17.04.2026 को याचिकाकर्ता को विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया, और विद्वान मजिस्ट्रेट ने आक्षेपित रिमांड आदेश पारित किया, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को जिला कारागार, मेरठ भेजा गया। तब से, याचिकाकर्ता आक्षेपित रिमांड आदेश के अनुसरण में अवैध निरोध में है। याचिकाकर्ता विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा केस संख्या 2122/2025, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132(1)(a), 132(1)(f), 132(1)(i) एवं 132(1)(l) के अंतर्गत तथा धारा 132(5) के अंतर्गत दण्डनीय, जिला गाज़ियाबाद, विभाग - डी.जी.जी.आई. में पारित दिनांक 17.04.2026 के आक्षेपित रिमांड आदेश के अनुसरण में दिनांक 17.04.2026 से जिला कारागार, मेरठ में निरुद्ध है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता को वस्तु एवं सेवा कर आसूचना महानिदेशालय, गाज़ियाबाद द्वारा पंजीकृत सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132(1)(a), 132(1)(f), 132(1)(i) एवं 132(1)(l) के अंतर्गत उत्पन्न प्रकरण के संबंध में असत्य रूप से फंसाया गया है। उसे कथित अपराधों से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ने वाला कोई अभियोगात्मक साक्ष्य विद्यमान नहीं है।

5. दिनांक 17.04.2026 को याचिकाकर्ता को विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया, तथा अभियोजन/आसूचना अधिकारी ने गिरफ्तारी के आधार एवं जामा तलाशी की प्रतियां संलग्न करते हुए याचिकाकर्ता को 14 दिनों हेतु न्यायिक अभिरक्षा में रिमांड किए जाने की प्रार्थना करते हुए एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। गिरफ्तारी के आधार एवं गिरफ्तारी ज्ञापन न तो याचिकाकर्ता को उसकी गिरफ्तारी से पूर्व और न ही गिरफ्तारी के पश्चात् प्रदान किए गए।

6. यह भी निवेदन किया गया कि गिरफ्तारी के आधार एवं गिरफ्तारी ज्ञापन पर याचिकाकर्ता की पत्नी के हस्ताक्षर उस समय प्राप्त किए गए जब अभियोजन द्वारा रिमांड स्वीकृत किए जाने हेतु मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, किंतु उनकी प्रतियां न तो याचिकाकर्ता को और न ही उसकी पत्नी को प्रदान की गईं। गिरफ्तारी ज्ञापन के अवलोकन से यह प्रदर्शित होता है कि परिवादी द्वारा साथ रखे गए गिरफ्तारी ज्ञापन पर भी डी.जी.जी.आई. के अपर महानिदेशक के हस्ताक्षर याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के पश्चात् प्राप्त किए गए। इस प्रकार, गिरफ्तारी ज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा अधिनियम एवं उसके अंतर्गत निर्मित नियमों में उल्लिखित प्रावधानों के स्पष्ट उल्लंघन में तैयार किया गया था।

7. अतः, याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी अवैध है तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती है। परिवादी ने याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करते समय सीजीएसटी अधिनियम की धारा 69 के अंतर्गत उपबंधित आज्ञापक प्रावधानों तथा बीएनएसएस, 2023 के प्रावधानों का पालन नहीं किया।

8. गिरफ्तारी ज्ञापन में गिरफ्तारी के कोई विशिष्ट आधार उल्लिखित नहीं किए गए हैं। इसमें मात्र यह अभिलिखित है कि गिरफ्तारी के आधार कॉर्पस को समझाए गए। तथापि, इसमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं है जिससे यह इंगित हो कि गिरफ्तारी के आधार गिरफ्तारी ज्ञापन के



अनुलग्नक के रूप में याचिकाकर्ता को प्रदान किए गए थे। इसके अतिरिक्त, जामा तलाशी के कॉलम (i) से (iv) रिक्त रखे गए, और उन पर याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर प्राप्त किए गए।

9. विद्वान रिमांड मजिस्ट्रेट ने उपर्युक्त विसंगतियों पर विचार करने में असफल रहते हुए याचिकाकर्ता की रिमांड अवैध रूप से स्वीकृत कर दी। अतः, याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी एवं निरोध अवैध हैं तथा अवैध एवं मनमाना घोषित किए जाने योग्य हैं, और याचिकाकर्ता अविलंब मुक्त किए जाने का अधिकारी है।

10. सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132 के प्रावधानों के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि यह धारा उसमें सूचीबद्ध प्रावधानों के अतिक्रमण हेतु दण्ड का प्रावधान करती है। तथापि, याचिकाकर्ता का प्रकरण अधिनियम की धारा 132 के अंतर्गत उल्लिखित किसी भी परिभाषा अथवा कृत्य के अंतर्गत आच्छादित नहीं है।

11. परिवादी ने याचिकाकर्ता के अभिरक्षा में रहते हुए उसका कथन अभिलिखित किया, जो बीएनएसएस के अंतर्गत न्यायेतर संस्वीकृति के तुल्य है, तथा ऐसे कथन अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत होने के कारण साक्ष्य में ग्राह्य नहीं हैं। कथित अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हैं, तथा विहित अधिकतम दण्ड पांच वर्ष तक है।

12. परिवादी को सीजीएसटी अधिनियम की धारा 74 के अंतर्गत उक्त कंपनियों को नोटिस जारी करना चाहिए था। तत्पश्चात्, परिवादी को उक्त कंपनियों से राशि वसूल करनी अपेक्षित थी। तथापि, अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों का पालन किए बिना तथा बिना किसी सम्यक् कारण के, परिवादी ने सीधे याचिकाकर्ता को गिरफ्तार कर लिया, जो संलिप्त नहीं था, जो कि विधि के विपरीत है।

13. याचिकाकर्ता एक शांतिप्रिय व्यक्ति है जो व्यवसाय में संलग्न है तथा उसका कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है। अभियोजन सीजीएसटी अधिनियम की धारा 70 के अंतर्गत याचिकाकर्ता से कथित रूप से अभिलिखित कथनों पर निर्भर करता है, जिनमें कतिपय स्वीकृतियों का दावा किया गया है। याचिकाकर्ता का निवेदन है कि ऐसे समस्त कथन दबाव, बल-प्रयोग एवं धमकी देकर प्राप्त किए गए, तथा उसे कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करने हेतु बाध्य किया गया, जिन्हें बाद में पंचनामा में परिवर्तित कर दिया गया।



14. डी.जी.जी.आई. के समुचित अधिकारी ने सीजीएसटी अधिनियम की धारा 70(1) एवं 70(2) के अंतर्गत जांच प्रारंभ की। ऐसी प्रत्येक जांच को न्यायिक कार्यवाही समझा जाता है। यह निवेदन किया गया है कि उपर्युक्त निरोध स्वयं याचिकाकर्ता के मूल अधिकारों के साथ-साथ गिरफ्तारी एवं रिमांड से संबंधित बीएनएसएस (पूर्व में दंड प्रक्रिया संहिता) के प्रावधानों के भी उल्लंघन में है।

15. यह भी निवेदन किया गया कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी से पूर्व अथवा उसके तत्काल पश्चात् विधि के आज्ञापक प्रावधानों के स्पष्ट उल्लंघन में उसकी कोई चिकित्सीय जांच नहीं कराई गई। डी.जी.जी.आई. के अधिकारियों ने बीएनएसएस के प्रावधानों का पालन नहीं किया तथा बीएनएसएस की धारा 35 (साक्ष्य अभिलिखित किया जाना), धारा 36 (शपथ दिलाया जाना), तथा धारा 103 एवं 105 (तलाशी एवं जब्ती प्रक्रिया) के विपरीत कार्य किया। अतः, कथन एवं तलाशी की कार्यवाहियां विधितः त्रुटिपूर्ण हैं।

16. याचिकाकर्ता के विरुद्ध कथित अपराध केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 132(1)(a), 132(1)(f), 132(1)(i) एवं 132(1)(l) के अंतर्गत हैं। विहित अधिकतम दण्ड जुर्माने सहित पांच वर्ष का कारावास है। आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। याचिकाकर्ता दो माह से अधिक समय से अभिरक्षा में है। प्रकरण न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। विहित दण्ड सीमित है, तथा किसी भी दशा में, अभियोजन दस्तावेज़ी साक्ष्य पर आधारित है।

17. सीजीएसटी विभाग द्वारा जारी दिनांक 17.08.2022 के परिपत्र संख्या 02, सन् 2022-2023 के अनुसार, गिरफ्तारी हेतु पूर्वापेक्षित शर्तें आगे उल्लिखित हैं:

3.1 सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132 की उपधारा (1) उसमें विनिर्दिष्ट अपराधों हेतु दण्ड का प्रावधान करती है। धारा 69 की उपधारा (1) आयुक्त को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करे, जहां उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि कथित अपराधी ने सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132 की उपधारा (1) के खण्ड (a), (b), (c) अथवा (d) में विनिर्दिष्ट कोई अपराध कारित किया है, जो धारा 132 की उपधारा (1) के खण्ड (i) अथवा (ii), अथवा उपधारा (2) के अंतर्गत दण्डनीय है। अतः, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने से पूर्व, विधिक अपेक्षाओं का पालन किया जाना अनिवार्य है। कथित अपराधी को गिरफ्तार किए जाने का निर्णय लेने हेतु विश्वास करने के



कारण असंदिग्ध एवं पूर्णतः स्पष्ट होने चाहिए। विश्वास करने के कारण विश्वसनीय सामग्री पर आधारित होने चाहिए।

3.2 चूंकि गिरफ्तारी किसी व्यक्ति की वैयक्तिक स्वतंत्रता का अतिक्रमण करती है, अतः गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। गिरफ्तारी नियमित एवं यांत्रिक ढंग से नहीं की जानी चाहिए। सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132 में उल्लिखित गिरफ्तारी की सभी विधिक पूर्वापेक्षित शर्तें पूर्ण होने पर भी, इसका तात्पर्य स्वतः यह नहीं है कि गिरफ्तारी की जानी ही चाहिए। अपराध के विधिक तत्व सिद्ध होने के पश्चात्, आयुक्त अथवा सक्षम प्राधिकारी को यह अवधारित करना चाहिए कि क्या निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी अथवा कुछ का उत्तर सकारात्मक है:

3.2.1 क्या वह व्यक्ति अजमानतीय अपराध में संलिप्त था, अथवा उसके ऐसे संलिप्त होने संबंधी विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है, अथवा युक्तियुक्त संदेह विद्यमान है?

3.2.2 क्या अपराध की समुचित विवेचना सुनिश्चित करने हेतु गिरफ्तारी आवश्यक है?

3.2.3 क्या वह व्यक्ति, यदि प्रतिबंधित न किया जाए, तो आगे की विवेचना के क्रम से छेड़छाड़ करने, अथवा साक्ष्य से छेड़छाड़ करने, अथवा साक्षियों को धमकाने या प्रभावित करने की संभावना रखता है?

3.2.4 क्या वह व्यक्ति कपटपूर्ण इनपुट टैक्स क्रेडिट आदि पारित करने हेतु फर्जी जीएसटीआईएन अथवा अस्तित्वहीन व्यक्तियों आदि के नाम पर प्रॉक्सी/बेनामी लेन-देन करने वाला सूत्रधार अथवा मुख्य संचालक है?

3.2.5 चूंकि जब तक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार न किया जाए, विवेचना अधिकारी के समक्ष उसकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकती।

3.3 गिरफ्तारी की स्वीकृति केवल वहीं प्रदान की जानी चाहिए, जहां कर अपवंचन का आशय अथवा सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अनुसार गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपभोग अथवा उपयोग, अथवा कर के कपटपूर्ण रिफण्ड, अथवा कर के रूप में एकत्रित राशि के भुगतान में असफलता की ओर ले जाने वाले कृत्य कारित करने का आशय स्पष्ट हो तथा मेन्स रीआ/दोषी मन का तत्व सुस्पष्ट हो।



3.4 अतः, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का निर्णय लेने से पूर्व, विधिक अपेक्षाओं की पूर्ति के अतिरिक्त, प्रासंगिक कारक यह होने चाहिए कि समुचित विवेचना सुनिश्चित करने तथा साक्ष्य से छेड़छाड़ अथवा साक्षियों को धमकाने या प्रभावित करने की संभावना को रोकने की आवश्यकता विद्यमान हो।

3.5 तथापि, तकनीकी प्रकृति के प्रकरणों में, अर्थात् जहां कर की मांग विधि की व्याख्या संबंधी मतभेद पर आधारित हो, गिरफ्तारी का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। कथित अपराधी को कर अपवंचन का आशय प्रत्यारोपित करते समय निर्धारण की प्रचलित पद्धति भी निर्धारक कारकों में से एक हो सकती है। गिरफ्तारी के निर्णय को प्रभावित करने वाले अन्य कारक यह हो सकते हैं कि क्या कथित अपराधी विवेचना में सहयोग कर रहा है, यथा- समन का अनुपालन, मांगे गए दस्तावेजों की प्रस्तुति, टालमटोल वाले उत्तर न देना, कर का स्वैच्छिक भुगतान आदि।

18. प्रत्यर्थी संख्या 2 एवं 3 की ओर से एक प्रतिशपथपत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह कथन किया गया है कि इन कूट संस्थाओं के बैंक खाते, जो केवल ऐसे भुगतान प्राप्त करने हेतु खोले गए थे, जीएसटी पंजीकरण से संबद्ध नहीं थे तथा जीएसटी एवं अन्य करों के अपवंचन हेतु जानबूझकर सृजित किए गए थे। इन संस्थाओं ने ऑनलाइन गेमिंग हेतु प्रयोज्य कोड के स्थान पर असंबद्ध एचएसएन कोड (उदाहरणार्थ, आईटी डिज़ाइन, ऑनलाइन कंटेंट, वस्तुएं) गलत रूप से घोषित किए, तथा पूर्ण अंकित मूल्य (कुल पे-इन राशि) पर 28% के स्थान पर नाममात्र/मनमाने कमीशन मूल्य पर 18% जीएसटी का भुगतान किया, जिससे सरकार को पर्याप्त राजस्व हानि हुई।

19. जांच में यह पाया गया कि याचिकाकर्ता ने गेटवे कंपनी के साथ अनुबंध के संबंध में आरबीआई के विनियमों को दरकिनार किया था तथा लेन-देन को वाणिज्य/सॉफ्टवेयर तकनीकी सेवाओं के रूप में छद्मावृत किया था। याचिकाकर्ता उक्त कंपनी, अर्थात् मेसर्स एसआरएस लाइफ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, का मुख्य शेयरधारक था तथा भुगतान गेटवे को नियंत्रित करने वाला मुख्य व्यक्ति था। याचिकाकर्ता आधिकारिक रूप से बुक किए गए कमीशन के अतिरिक्त, सूत्रधार रही गेमिंग कंपनियों से अतिरिक्त नकद कमीशन वसूल कर रहा था।

20. इस संबंध में, जांच के दौरान अनेक दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, तथा प्राधिकारियों ने यह प्रकट किया कि कुल 47 कंपनियों को भुगतान गेटवे "सबपैसा" के माध्यम से रु.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



16,44,96,47,476/- प्राप्त हुए, जो ऑनलाइन गेमिंग के आधार पर ग्राहकों से प्राप्त हुए थे। 47 कंपनियों का विवरण कथित किया गया है, जिसमें कुल कर देयता रु. 4,60,59,01,293/- पाई गई, जबकि उक्त फर्जी संस्थाओं द्वारा भुगतान किया गया कुल कर रु. 15,40,03,888/- था। इस प्रकार, फर्जी संस्थाएं सृजित की गईं, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी राजकोष को पर्याप्त राजस्व हानि हुई।

21. आवेदक कंपनी पर प्रभावी नियंत्रण रखता था तथा उसने जानबूझकर कूट संस्थाओं एवं "सबपैसा" भुगतान गेटवे के माध्यम से अस्तित्वहीन संस्थाओं के ऑनबोर्डिंग को सुकर बनाया एवं पर्यवेक्षित किया, ताकि ऑनलाइन मनी गेमिंग लेन-देन को मार्गित किया जा सके, जबकि विधि द्वारा अधिदेशित पूर्ण अंकित मूल्य के स्थान पर कृत्रिम रूप से घटाया गया कमीशन मूल्य घोषित करके जीएसटी को दबाया गया। विवेचना से लेन-देन मूल्य के जानबूझकर छिपाव, संपर्क बिंदु सत्यापन तंत्र में हेराफेरी, धन के स्तरित मार्गण, तथा आगमों के आवेदक से संबद्ध संस्थाओं एवं अंततः उसके व्यक्तिगत बैंक खातों की ओर अपवर्तन का प्रकटन हुआ, जो सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132 के अंतर्गत सांविधिक सीमा से अधिक जानबूझकर किए गए कर अपवंचन का गठन करता है।

22. विवेचना के पश्चात्, याचिकाकर्ता को विभाग के समक्ष उपस्थित होने हेतु निर्देशित करते हुए दिनांक 08.04.2026 को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 70 के अंतर्गत समन जारी किया गया। समन की सम्यक् तामील के पश्चात् भी, याचिकाकर्ता विभाग के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। तथापि, वह दिनांक 16.04.2026 को अपराहन 2:42 बजे डी.जी.जी.आई. कार्यालय के समक्ष उपस्थित हुआ, तथा उसकी प्रविष्टि दिनांक 16.04.2026 के दैनिक आगंतुक पास में भी अभिलिखित की गई। सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 70 के अंतर्गत समन जारी किया गया, तथा दिनांक 16.04.2026 का उसका कथन अभिलिखित किया गया।

23. विवेचना से प्रथम-दृष्टया, काल्पनिक संस्थाओं के माध्यम से ऑनलाइन मनी गेमिंग लेन-देन के मार्गण को सचेत रूप से सुकर बनाए जाने, वास्तविक कर योग्य मूल्य के दमन, धन के संरचित स्तरण, तथा उससे उद्भूत वित्तीय लाभों के प्रतिधारण का प्रकटन हुआ है। ऐसी सामग्री सीजीएसटी अधिनियम की धारा 132 के अंतर्गत संज्ञेय एवं अजमानतीय अपराधों के कारित होने को स्पष्ट रूप से प्रकट करती है, तथा तदनुसार, धारा 69 के अंतर्गत गिरफ्तारी किए जाने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा विश्वास करने के विधिमान्य कारण गठित किए गए थे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



24. तत्पश्चात्, याचिकाकर्ता को दिनांक 17.04.2026 को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया, जिस हेतु गिरफ्तारी ज्ञापन तैयार किया गया, तथा उसे उसकी गिरफ्तारी के आधार बताए गए। उसकी गिरफ्तारी संबंधी सूचना विवेचना अधिकारी के मोबाइल नंबर से पूर्वाह्न 3:00 बजे उसकी पत्नी के मोबाइल फोन पर दी गई। यह भी उल्लेखनीय है कि सूचना दिए जाने के पश्चात्, वह प्रत्यर्थी के कार्यालय पहुंची, जहां उसे दिनांक 17.04.2026 को पूर्वाह्न 4:00 बजे गिरफ्तारी ज्ञापन की एक प्रति प्रदान की गई। याचिकाकर्ता की पत्नी कार्यालय पहुंची, तथा उसकी प्रविष्टि आगंतुक रजिस्टर में भी की गई। इस संबंध में, शपथकर्ता आगंतुक रजिस्टर के प्रासंगिक भाग की एक प्रति अभिलेख पर लाता है, जो इस तथ्य का साक्ष्य है कि याचिकाकर्ता की पत्नी दिनांक 17.04.2026 को पूर्वाह्न 4:00 बजे प्रत्यर्थी के कार्यालय पहुंची थी।

25. याचिकाकर्ता ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष एक जमानत प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया, जो दिनांक 21.05.2026 को निरस्त कर दिया गया। तत्पश्चात्, उसने इस माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 04.06.2026 को दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 21215, सन् 2026 प्रस्तुत किया, और उसी कारण से, दिनांक 30.06.2026 को वर्तमान बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका भी प्रस्तुत की गई। अतः, उपर्युक्त कथित कारणों से, वर्तमान बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका इस माननीय न्यायालय के समक्ष पोषणीय नहीं है।

26. याचिकाकर्ता को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अंतर्गत विधिपूर्वक गिरफ्तार किया गया था, गिरफ्तारी ज्ञापन दिनांक 17 अप्रैल, 2026 को तैयार किया गया, जिसके संबंध में याचिकाकर्ता की पत्नी को सम्यक् रूप से सूचित किया गया, और वह प्रत्यर्थी के कार्यालय गई। अतः, गिरफ्तारी ज्ञापन अथवा रिमांड आदेश में कोई अवैधता नहीं है।

27. याचिकाकर्ता ने जानबूझकर ऐसे अपराध कारित किए हैं, जो कर अपवंचन से संबंधित सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों को आकर्षित करते हैं। यह निवेदन किया गया है कि याचिकाकर्ता जानबूझकर अधिनियम की धारा 132 की वास्तविक परिधि एवं भाषा को दबाने का प्रयास कर रहा है। यह भी निवेदन किया गया है कि अधिनियम की धारा 132 दायित्व को केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं करती जो सीधे चालान जारी करता है अथवा सीधे कर योग्य लेन-देन करता है, अपितु प्रत्येक उस व्यक्ति को भी आच्छादित करती है जो उसमें विनिर्दिष्ट अपराध "कारित" करता है, कारित कराता है, अथवा "उससे उद्भूत लाभ का प्रतिधारण करता है।" याचिकाकर्ता ने इस माननीय न्यायालय को भ्रमित करने के प्रयास में जानबूझकर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इस सांविधिक स्थिति का उल्लेख करने से परहेज किया है। यह भी निवेदन किया गया है कि विवेचना से प्रथम-दृष्टया यह प्रकट हुआ है कि याचिकाकर्ता, "सबपैसा" भुगतान गेटवे के ऑनबोर्डिंग, सेटलमेंट, अनुपालन एवं परिचालन कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति होने के नाते, प्रतिकूल सत्यापन निष्कर्षों एवं बार-बार आंतरिक चेतावनी संकेतों के बावजूद अनेक कूट एवं अस्तित्वहीन संस्थाओं को प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन मनी गेमिंग लेन-देन मार्गित करने हेतु जानबूझकर सुकर एवं सक्षम बनाता रहा। विवेचना से आगे यह भी प्रकट हुआ है कि सत्यापन तंत्र में हेराफेरी, गैर-एस्करो माध्यमों से धन का मार्गण, तथा आपूर्तियों की वास्तविक प्रकृति एवं मूल्य को छिपाने हेतु स्तरित लेन-देन की जानबूझकर संरचना की गई। इसके अतिरिक्त, वित्तीय अनुरेखण विश्लेषण से यह प्रकट हुआ है कि ऐसी गेमिंग संस्थाओं से उद्भूत धन मध्यवर्ती खातों के माध्यम से मार्गित होकर अंततः आवेदक से संबद्ध संस्थाओं को तथा तत्पश्चात् उसके व्यक्तिगत बैंक खाते को अंतरित किया गया, जिससे यह स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि आवेदक ने न केवल अपराधों के कारित होने को सुकर बनाया एवं कारित कराया, अपितु ऐसे अवैध लेन-देन से उद्भूत वित्तीय लाभ का प्रतिधारण एवं अर्जन भी किया। अतः, स्वयं को मात्र मध्यवर्ती अथवा असंबद्ध सेवा प्रदाता के रूप में प्रदर्शित करने का आवेदक का प्रयास पूर्णतः असत्य है तथा विवेचना के दौरान संगृहीत सामग्री के विपरीत है। गिरफ्तारी के आधार तथा विश्वास करने के कारण, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132 के अंतर्गत संज्ञेय एवं अजमानतीय अपराधों के प्रथम-दृष्टया कारित होने को प्रकट करने वाले पर्याप्त दस्तावेज़ी, मौखिक एवं वित्तीय साक्ष्य द्वारा पूर्णतः समर्थित हैं।

28. याचिकाकर्ता इस माननीय न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया है तथा उसने सारवान तथ्यों को दबाया एवं विकृत किया है, जिससे वह इस माननीय न्यायालय को भ्रमित करके अनुतोष प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे आचरण को अत्यंत गंभीरता से देखा जाना चाहिए। यह निवेदन किया गया है कि गिरफ्तारी के आधार, गिरफ्तारी ज्ञापन तथा जामा तलाशी याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के समय उसे सम्यक् रूप से तामील किए गए थे, तथा याचिकाकर्ता ने स्वयं उन पर अपने हस्ताक्षर अंकित करके इसे अभिस्वीकृत किया। याचिकाकर्ता अपनी गिरफ्तारी के आधार एवं बुनियाद से पूर्णतः अवगत था तथा गिरफ्तारी की कार्यवाही के तत्काल पश्चात् उसने विवेचना अधिकारी (आई.ओ.) के मोबाइल फोन से टेलीफोन द्वारा अपनी पत्नी को भी सूचित किया था। इसके अतिरिक्त, जैसा कि उपर्युक्त पैरा 7 में निवेदन किया गया है, याचिकाकर्ता की पत्नी प्रत्यर्थी प्राधिकारी के कार्यालय पहुंची, जहां उसे गिरफ्तारी ज्ञापन,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गिरफ्तारी के आधार तथा जामा तलाशी हाथोंहाथ प्रदान की गई। यह भी निवेदन किया गया है कि संपूर्ण गिरफ्तारी की कार्यवाही स्वतंत्र साक्षियों की उपस्थिति में संचालित की गई तथा एक वीडियो रिकॉर्डिंग उपकरण के माध्यम से सम्यक् रूप से अभिलिखित की गई। उक्त वीडियो रिकॉर्डिंग, यदि आवश्यक हो, इस माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है, जो याचिकाकर्ता द्वारा अब उठाए जा रहे असत्य एवं पश्च-चिंतित अभिकथनों को पूर्णतः ध्वस्त कर देगी। वर्तमान अभिवचन केवल अन्यथा विधिसम्मत गिरफ्तारी एवं विधिमान्य न्यायिक अभिरक्षा को तकनीकी चुनौती देने हेतु लिया गया है।

29. न तो सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69 और न ही कोई विहित प्रक्रिया गिरफ्तारी ज़ापन पर स्वयं अपर महानिदेशक के हस्ताक्षर को अनिवार्य बनाती है। गिरफ्तारी ज़ापन सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति एवं प्राधिकार के अनुसरण में, व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाले प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तैयार एवं निष्पादित किया जाना अपेक्षित है। वर्तमान प्रकरण में, विवेचना अधिकारी ने समस्त आवश्यक प्राधिकार प्राप्त करने के पश्चात्, याचिकाकर्ता को गिरफ्तार किया तथा गिरफ्तारी ज़ापन तैयार किया। यह भी निवेदन किया गया है कि याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी के आधार सम्यक् रूप से बताए गए थे, तथा उसकी पत्नी, अर्थात् श्रीमती अदिति भारद्वाज, को गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किए जाने सहित समस्त प्रक्रियात्मक सुरक्षोपायों का अनुपालन किया गया। गिरफ्तारी ज़ापन की एक प्रति भी उसे दिनांक 17.04.2026 को प्रदान की गई, जब वह डी.जी.जी.आई. के कार्यालय गई थी। यह भी निवेदन किया गया है कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के पश्चात्, विवेचना अधिकारी ने उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसके पश्चात् रिमांड आदेश पारित किया गया।

30. विद्वान रिमांड मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तारी ज़ापन, गिरफ्तारी के आधार तथा न्यायिक अभिरक्षा हेतु प्रार्थना पत्र सहित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सामग्री पर विचार करने के पश्चात् रिमांड आदेश पारित किया। विद्वान रिमांड न्यायालय ने विशेष रूप से अभिलिखित किया कि गिरफ्तारी के आधार गिरफ्तारी ज़ापन में उल्लिखित थे तथा उससे संलग्न थे। एक बार जब याचिकाकर्ता को सक्षम न्यायालय द्वारा न्यायिक मस्तिष्क के सम्यक् प्रयोग के पश्चात् न्यायिक अभिरक्षा में रिमांड कर दिया गया, तो वर्तमान बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्यवाही में उसकी अभिरक्षा को अवैध अथवा मनमाना नहीं कहा जा सकता। अतः, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी किए जाने हेतु कोई प्रकरण नहीं बनता।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



31. आवेदक विवेचना के दौरान प्रकट हुई समग्र कपटपूर्ण युक्ति तथा सीजीएसटी अधिनियम के अंतर्गत दायित्व की व्यापक सांविधिक परिधि की जानबूझकर उपेक्षा करते हुए, बारंबार धारा 132 के व्यक्तिगत खण्डों को पृथक करने का प्रयास कर रहा है। विवेचना से प्रथम-दृष्ट्या, काल्पनिक संस्थाओं के माध्यम से ऑनलाइन मनी गेमिंग लेन-देन के मार्गण को सचेत रूप से सुकर बनाए जाने, वास्तविक कर योग्य मूल्य के दमन, धन के संरचित स्तरण, तथा उससे उद्भूत वित्तीय लाभों के प्रतिधारण का प्रकटन हुआ है। ऐसी सामग्री सीजीएसटी अधिनियम की धारा 132 के अंतर्गत संज्ञेय एवं अजमानतीय अपराधों के कारित होने को स्पष्ट रूप से प्रकट करती है, तथा तदनुसार, धारा 69 के अंतर्गत गिरफ्तारी किए जाने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा विश्वास करने के विधिमान्य कारण गठित किए गए थे। यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक विवेचना के दौरान संगृहीत संचयी अभियोगात्मक सामग्री की उपेक्षा करते हुए, विद्वान न्यायालय की टिप्पणियों की चयनात्मक रूप से पुनर्व्याख्या करने का प्रयास कर रहा है। वित्तीय अनुरेखण विश्लेषण से अतिरिक्त रूप से आवेदक से संबद्ध संस्थाओं को तथा तत्पश्चात् उसके व्यक्तिगत बैंक खाते को धन के मार्गण का प्रकटन हुआ है। ऐसी सामग्री विवेचनाधीन लेन-देन से उद्भूत उसके प्रत्यक्ष वित्तीय हित एवं लाभों के प्रतिधारण को स्पष्ट रूप से स्थापित करती है तथा प्रथम-दृष्ट्या सीजीएसटी अधिनियम की धारा 132 के अंतर्गत संज्ञेय एवं अजमानतीय अपराधों को आकर्षित करती है।

32. याचिकाकर्ता के कथन जांच के दौरान सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 70 के अंतर्गत अभिलिखित किए गए थे, जो अधिनियम के अंतर्गत एक सांविधिक कार्यवाही है। कथन बिना किसी बल-प्रयोग, धमकी अथवा प्रलोभन के स्वेच्छा से दिए गए थे तथा याचिकाकर्ता द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित थे। कथनों के अभिलेखन से संबंधित कार्यवाही भी एक वीडियो रिकॉर्डिंग उपकरण के माध्यम से अभिलिखित की गई थी। याचिकाकर्ता ने किसी भी प्रक्रम पर उक्त कथनों से कभी प्रत्याहरण नहीं किया। अतः, यह अभिकथन कि कथन अग्राह्य अथवा अस्वैच्छिक हैं, पूर्णतः निराधार तथा अभिलेख के विपरीत है।

33. सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 74 के अंतर्गत कार्यवाहियां तथा सीजीएसटी अधिनियम की धारा 69 एवं 132 के अंतर्गत अभियोजन/गिरफ्तारी की कार्यवाहियां स्वतंत्र रूप से संचालित होती हैं, तथा ऐसी कोई विधिक अपेक्षा नहीं है कि धारा 74 के अंतर्गत अध्यनिर्णयन की कार्यवाही प्रत्येक प्रकरण में गिरफ्तारी से अनिवार्यतः पूर्ववर्ती होनी चाहिए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



वर्तमान प्रकरण में की गई विवेचना से कर योग्य कारोबार के जानबूझकर दमन, अनेक संस्थाओं एवं बैंक खातों के माध्यम से सैकड़ों करोड़ की राशि के ऑनलाइन मनी गेमिंग आगमों के मार्गण, कूट निदेशकों के माध्यम से संचालन, तथा जीएसटी के पर्याप्त अपवंचन का प्रकटन हुआ, जिससे सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132 के अंतर्गत संज्ञेय एवं अजमानतीय अपराध आकर्षित होते हैं। तदनुसार, याचिकाकर्ता को विवेचना के दौरान संगृहीत विश्वसनीय सामग्री के आधार पर विधिपूर्वक गिरफ्तार किया गया।

34. गिरफ्तारी के आधार याचिकाकर्ता को स्वयं गिरफ्तारी के समय ही सम्यक् रूप से प्रदान किए गए थे, तथा उसके द्वारा इसे अभिस्वीकृत किया गया। याचिकाकर्ता को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69 तथा प्रयोज्य विधिक अपेक्षाओं के अनुपालन में उसकी गिरफ्तारी की बुनियाद एवं आधारों के बारे में पूर्णतः सूचित किया गया था। यह अभिकथन कि न तो गिरफ्तारी के आधार और न ही विश्वास करने के कारण प्रदान किए गए, पूर्णतः अभिलेख के विपरीत है।

35. याचिकाकर्ता की प्रयोज्य प्रक्रिया के अनुसार सम्यक् रूप से चिकित्सीय जांच कराई गई थी, तथा प्रासंगिक चिकित्सीय जांच दस्तावेज़ अभिलेख का भाग हैं। अतः, अभिकथित अनुसार विधि के किसी आज्ञापक प्रावधान का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

36. याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132 के अंतर्गत संज्ञेय एवं अजमानतीय अपराधों के कारित होने के संबंध में विवेचना के दौरान संगृहीत विश्वसनीय सामग्री के आधार पर विश्वास करने के कारण गठित किए जाने के पश्चात्, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69 के अनुसार सम्यक् रूप से की गई थी। अतः, गिरफ्तारी हेतु समस्त सांविधिक अधिकारिता संबंधी अपेक्षाएं सम्यक् रूप से पूर्ण की गई थीं।

37. याचिकाकर्ता को गिरफ्तार किए जाने हेतु विश्वास करने के कारण, बैंक खाता विश्लेषण, भुगतान गेटवे डेटा, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 70 के अंतर्गत अभिलिखित कथनों, भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों, तथा सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132 के अंतर्गत संज्ञेय एवं अजमानतीय अपराधों में याचिकाकर्ता की संलिप्तता प्रकट करने वाली अन्य दस्तावेज़ी सामग्री सहित, विवेचना के दौरान संगृहीत विश्वसनीय सामग्री के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से गठित किए गए थे। यह भी निवेदन किया गया है कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी हेतु सम्यक् प्राधिकार, गिरफ्तारी किए जाने से पूर्व विहित प्रक्रिया के अनुसार सक्षम

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अभिलिखित किया गया था। गिरफ्तारी के आधार/कारण भी गिरफ्तारी ज्ञापन के साथ याचिकाकर्ता को प्रदान किए गए थे तथा उसके द्वारा सम्यक् रूप से अभिस्वीकृत किए गए थे। अतः, यह अभिकथन कि प्रत्यर्थीगण "विश्वास करने के कारण" प्रदर्शित अथवा प्रदान करने में असफल रहे, पूर्णतः निराधार तथा आधिकारिक अभिलेख के विपरीत है।

38. सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 70 के अंतर्गत की गई जांच, सीजीएसटी अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित एक सांविधिक कार्यवाही है। सीजीएसटी अधिनियम की धारा 70(2) स्पष्ट रूप से उपबंधित करती है कि ऐसी प्रत्येक जांच भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 193 एवं 228 के अर्थ के अंतर्गत "न्यायिक कार्यवाही" समझी जाएगी। न तो सीजीएसटी अधिनियम और न ही बीएनएसएस का कोई प्रावधान यह अनिवार्य बनाता है कि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 70 के अंतर्गत अभिलिखित कथन शपथ पर होने चाहिए। बीएनएसएस की धारा 2(m) पर याचिकाकर्ता की निर्भरता पूर्णतः भ्रांतिपूर्ण है, क्योंकि उक्त प्रावधान मात्र "न्यायिक कार्यवाही" पद को परिभाषित करता है तथा विशेष कानूनों के अंतर्गत कथन अभिलिखित करने की प्रक्रिया विहित नहीं करता। चूंकि सीजीएसटी अधिनियम के अंतर्गत विहित प्रक्रिया स्वयं में एक पूर्ण संहिता है, यह तर्क कि बीएनएसएस की प्रक्रिया सीजीएसटी अधिनियम की धारा 70 के अंतर्गत जांचों पर स्वतः प्रयोज्य होती है, विधितः असम्पोषणीय है तथा निरस्त किए जाने योग्य है।

39. याचिकाकर्ता को मात्र तृतीय पक्षों के कथनों के आधार पर गिरफ्तार नहीं किया गया है। सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 70 के अंतर्गत अभिलिखित याचिकाकर्ता के स्वयं के कथनों, बैंक खाता विश्लेषण, भुगतान गेटवे डेटा, भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों, लेन-देन से संबंधित विभिन्न व्यक्तियों के कथनों, तथा अन्य दस्तावेज़ी साक्ष्य सहित, विवेचना के दौरान संगृहीत विश्वसनीय सामग्री के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विश्वास करने के कारण गठित किए जाने के पश्चात् गिरफ्तारी की गई थी। इस प्रकार, याचिकाकर्ता के विरुद्ध अभिकथन स्वतंत्र दस्तावेज़ी एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य द्वारा समर्थित हैं, न कि मात्र तृतीय पक्षों के कथनों द्वारा।

40. प्रत्यर्थीगण ने सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69 एवं 132 के प्रावधानों के साथ-साथ दिनांक 17.08.2022 के परिपत्र के अनुसार कार्य किया है। विश्वास करने के कारण,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विवेचना के दौरान संगृहीत विश्वसनीय सामग्री के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित किए गए थे, तथा गिरफ्तारी किए जाने से पूर्व गिरफ्तारी हेतु सम्यक् स्वीकृति प्राप्त की गई थी। गिरफ्तारी न तो नियमित थी और न ही यांत्रिक, अपितु अपराध की गंभीरता, अपवंचन में याचिकाकर्ता की सक्रिय भूमिका, समुचित विवेचना की अपेक्षा, साक्ष्य से छेड़छाड़ की संभावना, तथा साक्षियों को प्रभावित किए जाने को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक समझी गई थी। इस प्रकार, परिपत्र में विचारित समस्त शर्तें सम्यक् रूप से पूर्ण की गई थीं।

41. गिरफ्तारी के आधार गिरफ्तारी ज्ञापन के अनुलग्नक के रूप में याचिकाकर्ता को सम्यक् रूप से प्रदान किए गए थे, तथा याचिकाकर्ता ने उन पर अपने हस्ताक्षर अंकित करके इसे अभिस्वीकृत किया। गिरफ्तारी ज्ञापन स्वयं विशेष रूप से अभिलिखित करता है कि गिरफ्तारी के आधार याचिकाकर्ता को समझाए गए थे। विद्वान मजिस्ट्रेट ने भी अभिलिखित किया है कि गिरफ्तारी के आधार गिरफ्तारी ज्ञापन में उल्लिखित थे तथा उससे संलग्न थे। गिरफ्तारी का स्थान गिरफ्तारी ज्ञापन में विशेष रूप से उल्लिखित है, तथा गिरफ्तारी की कार्यवाही स्वतंत्र साक्षियों की उपस्थिति में संचालित की गई थी। इसके अतिरिक्त, संपूर्ण गिरफ्तारी की कार्यवाही वीडियो रिकॉर्ड भी की गई थी। अतः, गिरफ्तारी के आधार प्रदान न किए जाने तथा जामा तलाशी में त्रुटियों संबंधी अभिकथन पूर्णतः निराधार तथा समकालिक आधिकारिक अभिलेखों के विपरीत हैं। याचिकाकर्ता ने स्वयं इसे अपने दिनांकित हस्ताक्षरों के अंतर्गत लिखित रूप में अभिस्वीकृत किया है। यह भी निवेदन किया गया है कि व्यक्तिगत तलाशी के समय याचिकाकर्ता के पास कोई अभियोगात्मक अथवा अभिलेखनीय वस्तु नहीं पाई गई, तथा अतः, याचिकाकर्ता जामा तलाशी ज्ञापन में की गई प्रविष्टियों से कोई प्रतिकूल अनुमान नहीं निकाल सकता।

42. प्रतिस्पर्धी निवेदनों को सुनने के पश्चात्, यह न्यायालय पाता है कि गिरफ्तारी के संबंध में, सीजीएसटी विभाग द्वारा जारी दिनांक 17.08.2022 का परिपत्र संख्या 02, सन् 2022-2023, कॉर्पस-याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। परिपत्र दर्शाता है कि गिरफ्तारी की शक्ति किसी व्यक्ति की वैयक्तिक स्वतंत्रता का अतिक्रमण करती है और इसलिए, यह नियमित एवं यांत्रिक ढंग से नहीं की जानी चाहिए। अपराध के विधिक तत्व सिद्ध होने पर भी, आयुक्त अथवा सक्षम प्राधिकारी को विचार करना चाहिए। क्या व्यक्ति द्वारा अजमानतीय अपराध के कारित किए जाने संबंधी विश्वसनीय सूचना विद्यमान है



तथा समुचित विवेचना हेतु उसकी गिरफ्तारी आवश्यक है। इसे यह भी विचार करना चाहिए कि क्या वह व्यक्ति आगे की विवेचना के क्रम से छेड़छाड़ करने, अथवा साक्ष्य से छेड़छाड़ करने, अथवा साक्षियों को धमकाने या प्रभावित करने की संभावना रखता है। क्या वह व्यक्ति सूत्रधार अथवा मुख्य संचालक है, यह उसकी गिरफ्तारी के बिना अवधारित नहीं किया जा सकता तथा प्रकरण की विवेचना संभव नहीं है। वर्तमान प्रकरण में, हम पाते हैं कि कॉर्पस-याचिकाकर्ता के 'गिरफ्तारी के आधार' का विवरण उसे तामील किया गया था। याचिकाकर्ता के 'गिरफ्तारी के आधार' निम्नानुसार हैं:-

वस्तु एवं सेवा कर आसूचना महानिदेशालय गाज़ियाबाद क्षेत्रीय इकाई पंचम तल, भूखंड संख्या-38, ब्लॉक-जे, सेक्टर-63, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201307 ई-मेल: gsti-gru@gov.in दूरभाष : 0120-297-50-47/48/49	DGGI	DIRECTORATE GENERAL OF GST INTELLIGENCE GHAZIABAD REGIONAL UNIT 5th Floor, Plot No.-38, Block-J, Sec.-63, Noida, U.P.- 201307 E-mail:gsti-gru@gov.in Tele.:0120-297-50-47/48/49
--	------	---

फ़ाइल सं. DGGI/INV/GST/2122/2025-Gr B-O/ DD-DGGI-RU-GHAZIABAD दिनांक:

17.04.2026

DIN: 202604DNN400007757F6

दिनांक 17.04.2026 के गिरफ्तारी ज़ापन का अनुलग्नक, जो श्री कुमार मनीष के नाम जारी किया गया

क. सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69 के अंतर्गत श्री कुमार मनीष की गिरफ्तारी के आधार

(1) आसूचना प्राप्त हुई कि कुछ ऑनलाइन मनी गेमिंग फर्म/कंपनियां कूट व्यक्तियों के नाम पर स्थापित की गई थीं, किंतु वास्तव में विभिन्न सूत्रधारों/नियंत्रकों द्वारा नियंत्रित एवं संचालित की जा रही थीं। यह भी ज्ञात हुआ कि ये फर्म ऑनलाइन गेमिंग मनी के पूर्ण अंकित मूल्य (अर्थात् खिलाड़ियों द्वारा उनके प्लेटफॉर्म पर जमा की गई कुल पे-इन राशि)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पर 28% जीएसटी भुगतान करने के स्थान पर नाममात्र/घोषित मूल्य (उनके द्वारा मनमाने ढंग से निर्धारित कमीशन) पर 18% जीएसटी का भुगतान कर रही हैं।

(ii) विवेचना से यह प्रकट हुआ है कि लगभग रु. 16,44,96,47,476/- की राशि सबपैसा गेटवे के माध्यम से ऐसी 47 संस्थाओं के बैंक खातों में मार्गित की गई है। ये प्राप्तियां पूर्ण अंकित मूल्य का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 31B के अंतर्गत कर योग्य मूल्य का गठन करती हैं।

(iii) उक्त 47 कंपनियों/फर्मों ने सबपैसा की सुकरता से, पूर्ण अंकित मूल्य पर 28% की दर से जीएसटी भुगतान करने के स्थान पर, केवल मनमाने ढंग से घोषित कमीशन मूल्य पर ही जीएसटी का भुगतान किया तथा मात्र राशि पर 18% की दर से जीएसटी अदा किया, जिसके परिणामस्वरूप जीएसटी देयता का भुगतान न किया गया/अल्प भुगतान किया गया। यह जानबूझकर अवमूल्यन तथा सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अतिक्रमण को स्पष्ट रूप से स्थापित करता है।

(iv) मेसर्स एसआरएस लाइव टेक्नोलॉजीज प्रा. लि. के प्रबंधक (मर्चेट सर्विस डिलीवरी) श्री ब्रजेश्वर प्रसाद के दिनांक 02.09.2025, 03.09.2025 एवं 04.09.2025 के कथन से यह प्रकट हुआ कि वह मर्चेट खातों को संभालने हेतु उत्तरदायी था तथा ऐसी संस्थाएं संचालित करने वाले व्यक्तियों के नियमित संपर्क में था। उसने स्पष्ट रूप से कथन किया कि ऐसी अनेक संस्थाएं उच्च-आयतन, निम्न-मूल्य के लेन-देन (अधिकांशतः ₹100 मूल्यवर्ग) में लेन-देन कर रही थीं, जिससे ऑनलाइन मनी गेमिंग गतिविधि की आशंका उत्पन्न हुई। ऐसी जानकारी होने के बावजूद, ये संस्थाएं सबपैसा प्लेटफॉर्म पर संचालित होती रहीं।

(v) मेसर्स तसदीक सॉल्यूशंस प्रा. लि. (तृतीय-पक्ष सत्यापन अभिकरण) की निदेशक श्रीमती राजवीर कौर के दिनांक 17.03.2026 के कथन से यह प्रकट हुआ कि मर्चेटों का भौतिक सत्यापन उनकी कंपनी द्वारा किया गया था; तथापि, मेसर्स एसआरएस लाइव टेक्नोलॉजीज प्रा. लि. के अधिकारियों के निर्देशों पर, संस्थाओं के अस्तित्वहीन होने जैसे प्रतिकूल निष्कर्षों को "रेड" श्रेणी के रूप में प्रतिवेदित नहीं किया गया, अपितु जानबूझकर "येलो" श्रेणी में अवनत कर दिया गया। सत्यापन प्रतिवेदनों की इस हेराफेरी ने अस्तित्वहीन संस्थाओं को प्लेटफॉर्म पर संचालित होते रहने में सक्षम बनाया।



(vi) तृतीय-पक्ष सत्यापन अभिकरण, मेसर्स तसदीक सॉल्यूशंस प्रा. लि. के कथनों सहित अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य यह स्थापित करता है कि अस्तित्वहीन संस्थाओं को उच्च-जोखिम ("रेड") के रूप में वर्गीकृत किए जाने से बचने हेतु सत्यापन प्रतिवेदनों में हेराफेरी की गई, तथा उनके निरंतर संचालन को सक्षम बनाने हेतु ऐसी संस्थाओं को "येलो" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। यह अनुपालन मानदंडों के सचेत एवं जानबूझकर तनुकरण को इंगित करता है।

(vii) विवेचना से यह प्रकट हुआ है कि आज्ञापक सम्यक् तत्परता अपेक्षाओं के बावजूद, कई अस्तित्वहीन एवं काल्पनिक संस्थाओं को जानबूझकर सबपैसा प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड किया गया। ऐसा ऑनबोर्डिंग श्री कुमार मनीष के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में किया गया, जिससे कर अपवंचन हेतु उपयोग की जाने वाली शेल संस्थाओं के नेटवर्क का सृजन सक्षम हुआ।

(viii) यह स्थापित हो चुका है कि ग्राहकों से एकत्रित धन को आरबीआई के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में एस्क्रो खातों से गैर-एस्करो खातों में अपवर्तित किया गया तथा तत्पश्चात् मर्चेन्ट संस्थाओं को मार्गित किया गया। धन प्रवाह की इस जानबूझकर संरचना ने ऑडिट ट्रेल को भंग करने, धन के सह-मिश्रण, तथा गतिविधियों की वास्तविक प्रकृति को छिपाने हेतु लेन-देन के स्तरण को सुकर बनाया।

(ix) सूचना के अनुसार तथा वित्तीय अनुरेखण विश्लेषण से यह प्रकट होता है कि गेमिंग कंपनियों/फर्मों से उद्भूत कुछ धन कंपनियों की अनेक परतों के माध्यम से मार्गित होकर अंततः श्री कुमार मनीष से संबद्ध कंपनियों को तथा आगे उसके व्यक्तिगत बचत खाते को अंतरित किया गया। यह ऐसे अवैध लेन-देन से उद्भूत उसकी प्रत्यक्ष संलिप्तता तथा वित्तीय लाभ को स्थापित करता है।

(x) विवेचना के दौरान यह स्थापित हुआ है कि ग्राहकों/खिलाड़ियों से एकत्रित रु. 75,50,93,160/- की राशि प्रारंभ में मेसर्स एसआरएस लाइव टेक्नोलॉजीज प्रा. लि. (सबपैसा) द्वारा रखे गए एस्करो खातों में जमा की गई तथा तत्पश्चात् भुगतान एग्रीगेटरों को शासित करने वाले आरबीआई के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में, आईसीआईसीआई में रखे गए खाता संख्या 347505000009 सहित (किंतु उस तक सीमित नहीं) गैर-एस्करो चालू खातों में अपवर्तित की गई। तत्पश्चात्, ऐसा धन मेसर्स डॉटवन इंफोटेक प्रा. लि., मेसर्स ऋषि एंटरप्राइजेज, मेसर्स प्रोग्रेसफिन पेमेंट टेक्नोलॉजीज प्रा. लि., मेसर्स एनवायरोव्हील्स



टेक्नोलॉजीज प्रा. लि. तथा अन्य समान स्थिति की संस्थाओं जैसी मर्चेट संस्थाओं को मार्गित किया गया। धन प्रवाह की इस जानबूझकर संरचना ने ऑडिट ट्रेल को भंग करने, धन के सह-मिश्रण, तथा लेन-देन के स्तरण को सुकर बनाया, जिससे लेन-देन की वास्तविक प्रकृति एवं स्रोत छिप गया।

(xi) इसके अतिरिक्त, वित्तीय अभिलेखों एवं बैंक विवरणों के विश्लेषण से यह प्रकट हुआ है कि उपर्युक्त गेमिंग संस्थाओं से उद्भूत धन अनेक मध्यवर्ती संस्थाओं एवं खातों के माध्यम से स्तरित किया गया, तथा अंततः मेसर्स फोर्टी टू पार्क्स टेक्नोलॉजीज एलएलपी (खाता संख्या 347505001050) सहित श्री कुमार मनीष से संबद्ध संस्थाओं को, तथा तत्पश्चात् आईसीआईसीआई बैंक में रखे गए उसके व्यक्तिगत बैंक खाता संख्या 054101504429 को अंतरित किया गया। धन का यह अनुरेखण स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि श्री कुमार मनीष का ऐसे लेन-देन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण एवं उनमें वित्तीय हित था, जिससे उसकी सक्रिय संलिप्तता के साथ-साथ ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों से संबद्ध धन के अवैध मार्गण से प्राप्त वित्तीय लाभ भी सिद्ध होता है।

(xii) उच्च-जोखिम संस्थाओं के ऑनबोर्डिंग, व्यावसायिक गतिविधियों के गलत वर्गीकरण, सत्यापन प्रतिवेदनों में हेराफेरी, तथा वित्तीय लेन-देन की संरचना का बारंबार पैटर्न स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि ये कृत्य पूर्ण जानकारी एवं आशय के साथ किए गए थे, न कि किसी अनवधानतावश हुई त्रुटि अथवा लोप के कारण।

(xiii) श्री कुमार मनीष विवेचना में पूर्ण रूप से सहयोग करने में असफल रहे हैं तथा उन्होंने लेन-देन की वास्तविक प्रकृति, अंतिम लाभार्थियों की पहचान, तथा धन के मार्गण के संबंध में पूर्ण एवं सत्य प्रकटीकरण प्रदान नहीं किया है। ऐसा आचरण विवेचना में बाधा उत्पन्न किए जाने की आशंका उत्पन्न करता है।

(xiv) कंपनी तथा संबद्ध कंपनियों/फर्मों पर उसकी स्थिति एवं नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए, यह युक्तियुक्त आशंका विद्यमान है कि यदि श्री कुमार मनीष को अभिरक्षा में नहीं लिया गया तो वह सारवान साक्ष्य से छेड़छाड़ कर सकता है, डिजिटल अभिलेखों में हेराफेरी कर सकता है, अथवा साक्षियों को प्रभावित कर सकता है।

(xv) विवेचना एक महत्वपूर्ण प्रक्रम पर है तथा इसमें जटिल वित्तीय लेन-देन, अनेक स्तरित संस्थाएं, तथा अंतिम लाभार्थियों की पहचान सम्मिलित है। संपूर्ण कार्यप्रणाली उद्घाटित



करने, समस्त संबद्ध संस्थाओं एवं संलिप्त व्यक्तियों की पहचान करने, कर अपवंचन की पूर्ण मात्रा अवधारित करने तथा धन के अंतिम उपयोग का अनुरेखण करने हेतु श्री कुमार मनीष का अभिरक्षात्मक पूछताछ आवश्यक है।

(xvi) उपर्युक्त से यह स्थापित होता है कि श्री कुमार मनीष ने मेसर्स एसआरएस लाइव टेक्नोलॉजीज प्रा. लि. के निदेशक के रूप में, अनेक कूट संस्थाओं के माध्यम से ऑनलाइन मनी गेमिंग से संबंधित ₹16,44,96,47,476/- की राशि के धन के मार्गण को जानबूझकर सुकर बनाया, जिसके परिणामस्वरूप पूर्ण अंकित मूल्य पर 28% की दर से लगभग ₹4,60,59,01,293/- के जीएसटी का अपवंचन हुआ। उक्त अपवंचन वास्तविक कर योग्य मूल्य को दबाकर तथा आपूर्ति की प्रकृति को गलत वर्गीकृत करके किया गया है।

(xvii) श्री कुमार मनीष द्वारा कारित जानबूझकर मिथ्या कथन, तथ्यों के दमन, तथा आशयपूर्ण कर अपवंचन के कृत्य सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132(1)(a), 132(1)(f), 132(1)(i) एवं 132(1)(l) के अंतर्गत अपराधों का गठन करते हैं। चूंकि वर्तमान प्रकरण में जीएसटी अपवंचन की मात्रा रु. 5 करोड़ से अधिक है, अतः यह सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132(5) के अंतर्गत संज्ञेय एवं अजमानतीय अपराध के रूप में वर्गीकृत है।

(xviii) कपट की व्यापकता, सूत्रधार के रूप में श्री कुमार मनीष की जानबूझकर एवं सचेत भूमिका, साक्ष्य के उसके आशयपूर्ण विनाश, फरार होने के जोखिम, तथा लाभार्थियों एवं वित्तीय अनुरेखणों के संपूर्ण नेटवर्क की पहचान हेतु अभिरक्षात्मक पूछताछ की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69 के अंतर्गत श्री कुमार मनीष की गिरफ्तारी पूर्णतः न्यायोचित एवं समर्थित है।

ख. विश्वास करने के कारण कि श्री कुमार मनीष ने अजमानतीय एवं संज्ञेय अपराध कारित किया है

(1) इस प्रकरण में अपनाई गई कार्यप्रणाली तथा इसमें अंतर्गस्त रु. 5 करोड़ से अधिक की जीएसटी अपवंचन की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए, श्री कुमार मनीष द्वारा कारित अपराध संज्ञेय एवं अजमानतीय अपराध के रूप में वर्गीकृत है, तथा सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69(1) के आधार पर, जो यह उपबंधित करती है कि जहां गिरफ्तारी करने वाला अधिकारी यह समाधान कर ले कि निम्नलिखित परिस्थितियों में यह आवश्यक है;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(a) श्री कुमार मनीष को कोई अन्य अपराध कारित करने से निवारित करने हेतु

(b) अपराध की निष्पक्ष एवं निष्पक्षतापूर्ण विवेचना हेतु,

(c) ऐसे व्यक्ति को अपराध के साक्ष्य को लुप्त कराने अथवा किसी भी प्रकार से उससे आगे छेड़छाड़ करने से निवारित करने हेतु, तथा

(d) उसे प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को न्यायालय अथवा विवेचना अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का प्रकटीकरण करने से रोकने हेतु कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन देने से निवारित करने हेतु; श्री कुमार मनीष का मुक्त संचरण चल रही विवेचना को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है,

(ii) श्री कुमार मनीष प्रकरण की विवेचना को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है, इस सीमा तक कि वह साक्ष्य से छेड़छाड़ कर सकता है अथवा प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को प्रयोज्य कर के जानबूझकर एवं आशयपूर्वक भुगतान न किए जाने/अल्प भुगतान किए जाने, साथ ही वित्तीय अभिलेखों की कूटरचना, प्रतिस्थापन, फर्जी खातों, दस्तावेजों की प्रस्तुति, देय कर के अपवंचन के आशय से मिथ्या सूचना प्रस्तुत किए जाने के गठजोड़ में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध आगे विवेचना कर रहे विवेचना अधिकारियों को ऐसे तथ्यों के प्रकटीकरण से रोकने हेतु प्रलोभित, धमकी अथवा वचनबद्ध कर सकता है। अतः, श्री कुमार मनीष द्वारा कारित अपराधों हेतु, निष्पक्ष एवं निष्पक्षतापूर्ण विवेचना सुनिश्चित करने तथा साक्ष्य से छेड़छाड़ से बचने हेतु उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

(iii) श्री कुमार मनीष भारी मात्रा में जीएसटी को दबाने एवं अपवंचित करने के इस प्रकरण के पीछे सूत्रधार तथा मस्तिष्क के रूप में उभरता है, और इस प्रकार उसने सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132(1)(a), 132(1)(f), 132(1)(i) एवं 132(1)(l) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अपराध कारित किए हैं, जो सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132(i) के अंतर्गत दण्डनीय है, तथा सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132(5) के अंतर्गत एक संज्ञेय एवं अजमानतीय अपराध है।

(iv) तदनुसार, श्री कुमार मनीष को अपर महानिदेशक, डी.जी.जी.आई., मेरठ जोनल यूनिट के प्राधिकार के अंतर्गत सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69 के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है।



हस्ता.

कुमार सौरव जयंत // Kumar Saurav Jayant

आसूचना अधिकारी/ Intelligence Officer

वस्तु एवं सेवा कर आसूचना महानिदेशालय/

जीएसटी आसूचना महानिदेशालय,

गाज़ियाबाद, क्षेत्रीय इकाई।

43. गिरफ्तारी के आधारों के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी उपर्युक्त उल्लिखित सीजीएसटी विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुरूप है। अतः, यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी अवैध है।

44. यह तर्क कि कथित अपराधों हेतु अधिनियम के अंतर्गत विहित दण्ड मात्र पांच वर्ष तक है, तथा अतः, **सतेंदर कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं अन्य, 2022 (10) एससीसी 51** में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए, याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी अवैध है, सही प्रतीत नहीं होता।

45. उक्त निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने अपराधों की चार श्रेणियां बनाई थीं। सीजीएसटी अधिनियम के अंतर्गत अपराध विशेष अधिनियमों के अंतर्गत आच्छादित थे। श्रेणी "सी" के अपराधों के संबंध में, यह अभिनिर्धारित किया गया कि जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण "विशेष अधिनियम" के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 23 में यह अभिनिर्धारित किया है कि जब कारित अपराध संज्ञेय हों तथा सात वर्ष से कम अथवा उक्त अवधि तक विस्तारित हो सकने वाले कारावास से, जुर्माने सहित अथवा रहित, दण्डनीय हों, तो गिरफ्तारी तभी हो सकती है जब प्राधिकारी यह समाधान कर ले कि यह विश्वास करने अथवा संदेह करने का कारण है कि उक्त व्यक्ति ने अपराध कारित किया है तथा उसकी गिरफ्तारी की आवश्यकता है। ऐसी आवश्यकता उसे कोई अन्य अपराध कारित करने से रोकने, समुचित विवेचना हेतु तथा उसे लुप्त होने अथवा साक्ष्य से छेड़छाड़ करने से रोकने हेतु निकाली जाती है। ऐसे व्यक्ति को साक्षी को कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन देने से रोकने हेतु भी गिरफ्तार किया जा सकता है। पैरा संख्या 24 में, यह अभिनिर्धारित किया गया कि गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को गिरफ्तारी के कारण लिखित रूप में अभिलिखित करने चाहिए। इस प्रकरण में हम पाते हैं कि 'गिरफ्तारी के आधारों' में, याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी को न्यायोचित ठहराने वाले पर्याप्त कारण अभिलिखित किए गए हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



46. उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए, कॉर्पस-याचिकाकर्ता द्वारा प्रार्थित अनुतोष, एतद्वारा, अस्वीकार किए जाते हैं।

47. उपर्युक्त वर्णित बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका **खारिज** की जाती है।

(विनय कुमार द्विवेदी, न्यायमूर्ति) (सिद्धार्थ, न्यायमूर्ति)

05 अगस्त, 2026

रुचि अग्रहरी

Translated Version, Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।